ग्रामीण सेवा शिविर–2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 139 दिनांक 08/01/2026

उनवानी प्रकरण मुकेश कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या 356 / 2025

–: दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 14 / भू.अ. / 2025 दिनांक 02/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा –136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या [illegible] मे खातेदार [illegible] पुत्र [illegible] के स्थान पर मुकेश कुमार [illegible] पुत्र [illegible] का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का [illegible] उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह मे इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 140–141 दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.29 14:30:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवेदन पटवारी हल्का - हरदाचौथ

[illegible] हरदाचौथ के कि खाता सं. 41 की जगह मुकेश पि० दौला एवं मुकेश पि० दौलतराम दर्ज रिकार्ड है जबकि जाँच में मुकेश कुमार मीणा पि० दौलतराम के नाम से दस्तावेज पेश किये हैं अतः मुझे हल्का के कि खाता सं. 67, 41 में जगह का नाम मुकेश पि० दौला एवं मुकेश पि० दौलतराम के स्थान पर मुकेश कुमार मीणा पि० दौलतराम कुमार किया जाना उचित है।

संलग्न - [illegible]

- [illegible]

02.10.25

हस्ताक्षर पटवारी हल्का

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत:- .....

जांच की, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं मुताबिक दस्तावेज शुद्धि किया जाना उचित है

2/10/25

DLR झाड़ली

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

GSS क्रमांक 14
2.10.25

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट एवं DLR की जांच पश्चात शुद्धि की अभिशंसा की जाती है।

256
10-10-25

हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- ....., दिनांक:- .....)

पटवारी हल्का हरदाचौथ [illegible] भू-अभिलेख झाड़ली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार [illegible] की अभिशंसा रिपोर्ट के आधार पर [illegible] की खाता सं 67, 41 में मुकेश पुत्र दौला दौलतराम के स्थान पर मुकेश कुमार मीणा पुत्र दौलतराम [illegible] की स्वीकृति की जाती है। दुरस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.29 14:30:51 IST
Reason: SelfAttested